

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 17, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 24-1-2022-एक-10.—राज्य शासन एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही. पी. एस. चौहान, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 नवम्बर 2022 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-1-2022-एक-10, दिनांक 23 नवम्बर 2022 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 में, शब्द “तीन माह के भीतर” के स्थान पर, शब्द “22-05-2023 तक” स्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, अवर सचिव.